राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 874/2020

महेन्द्र सिंह चन्द्रावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. जिला कलेक्टर, जिला प्रतापगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति बाला जैन, कनिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़।
5. महेन्द्र कुमार बंजारा, कनिष्ठ सहायक, जिला कलेक्टर, कार्यालय प्रतापगढ़।
6. विपिन कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, उपखण्ड कार्यालय, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.08.2020

आदेश की दिनांक : 07.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2020 को अपास्त फरमाया जावे और वरिष्ठता सूची दिनांक 27.07.2019 अवैध घोषित कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 को सूची से

पृथक कर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की अलग से वरिष्ठता सूची बनायी जावे तथा रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की पदोन्नति को अवैध घोषित कर रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर विचार करते हुये पदोन्नत किया जावे और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व पदोन्नति के समस्त लाभ अपीलार्थी को मय शेष राशि सहित प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार दिनांक 28.07.2011 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 28.04.2015 के अनुसार समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों से तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों से व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से दिनांक 31.05.2015 तक अनुसूचित क्षेत्र में जाने संबंधी विकल्प पत्र मांगे गये तथा उक्त क्षेत्र में कार्यरत अन्य कार्मिक जिन्होंनें अनुसूचित क्षेत्र के लिये विकल्प पत्र नहीं दिया है वो नियम 6 के अनुसार अन्य जगह पर पदस्थापित होने तक प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे। अपीलार्थी ने अनुसूचित क्षेत्र में रहने के लिये विकल्प पत्र समय से पूर्व प्रस्तुत किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नियम लागू होने के पश्चात् उक्त सेवा नियमों के विपरीत जाकर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की अलग से वरिष्ठता सूची नहीं बनायी, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 08.01.2020 को आपत्ति प्रस्तुत की। परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया। आदेश दिनांक 31.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और उपखंड कार्यालय प्रतापगढ में पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अनुसूचित क्षेत्र की वरिष्ठता सूची उक्त प्रावधानो के अनुसार अलग से संधारित की जानी चाहिये। परंतु जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 03.07.2019 को वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें आपत्तियां मांगी गई। परंतु विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये अलग–अलग वरिष्ठता सूची का संधारण नहीं किया गया। जबकि पृथक–पृथक संधारण कर अलग से ही पदोन्नति की जानी चाहिये, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की, परंतु विभाग द्वारा ड्रॉप कर दी गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 06.02.2020 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी की किसी भी आपत्ति पर विचार किये बिना नियम 2014 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अनुसूचित क्षेत्र की वरिष्ठता अलग से निर्धारित नहीं करके और उक्त तथ्यों पर बिना विचार किये अपीलार्थी की आपत्ति को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम 2014 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की पृथक से वरियता सूची न बनाकर वरियता के आधार पर मिश्रित वरियता सूची का निर्धारण किया गया। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 द्वारा टीएसपी में नहीं रहने हेतु विकल्प पत्र दिया गया है और इस प्रकार उन्हें अनुसूचित क्षेत्र की वरियता सूची से अलग किया जावे। परंतु विभाग द्वारा उनका नाम अंकित किया गया है, जो नियम, 2014 के विरूद्ध है। राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डीपीसी करने के लिये एक वर्ष की शिथिलन कार्मिक विभाग ने दिनांक 14.11.2019 को प्रदान की और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 6 पद रिक्त होने पर पदोन्नति वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी की गई, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 श्रीमती ज्योति बाला जैन को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि टीएसपी क्षेत्र में रहने के विकल्प पत्र नहीं देने के बावजूद अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति प्रदान की गई, जो राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के विरूद्ध है, जिसके कारण अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रह गया। जबकि अपीलार्थी ने टीएसपी क्षेत्र में रहने हेतु विकल्प पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। उनका कथन है कि नियम, 2014 में प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के वरिष्ठता सूची का अलग से निर्धारण नहीं करने पर कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10815/2018 को चुनौती दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.07.2018 को सूचना विभाग के अवैध व अनुचित कृत्य के विरूद्ध नोटिस जारी कर जवाब तलब करने पर विभाग ने दिनांक 19.12.2018 को अनुसूचित क्षेत्र की अलग से वरिष्ठता सूची जारी की। इसी प्रकार वर्तमान मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग को अनुसूचित क्षेत्र की अलग से वरिष्ठता सूची जारी कर पदोन्नति प्रदान करनी चाहिये, परंतु नहीं की गई, जो उक्त नियम, 2014 के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2020 को अपास्त फरमाया जावे और वरिष्ठता सूची दिनांक 27.07.2019 अवैध घोषित कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 को सूची से पृथक कर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की अलग से वरिष्ठता सूची बनायी जावे तथा रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की पदोन्नति को अवैध घोषित कर रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर विचार करते हुये पदोन्नत किया जावे और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व पदोन्नति के समस्त लाभ अपीलार्थी को मय शेष राशि सहित प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि जिला प्रतापगढ का गठन दिनांक 26.01.2008 को होने अनुसार जिले में भिहित तहसील क्षेत्र प्रतापगढ/अरनोद/छोटी सादडी, जिला चित्तौड से तथा तहसील धरियावाद जिला उदयपुर से एवं तहसील पीपलखूंट का समायोजन जिला बांसवाडा से किया जाकर प्रतापगढ जिला का गठन हुआ, जिससे तत्कालीन समय से उक्त तहसील क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिक जिला प्रतापगढ़ के सहभागी कार्मिक बने हैं। ऐसी स्थिति में मूलतः तीन जिला क्षेत्रों अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों की उनके तत्कालीन जिला क्षेत्र की वरिष्ठता एवं वर्तमान जिला क्षेत्र गठन के उपरांत वरिष्ठता का संधारण करना उक्त कार्मिकों को पूर्ववत वरिष्ठता के ह्रास को बचाने के लिये किया जाना समुचित नहीं रहा था एवं वर्ष 2018 तक जिला गठन में शामिल तहसील क्षेत्र छोटी सादडी के अविनिर्दिष्ट क्षेत्र होने के कारण तथा जिला प्रतापगढ़ में मंत्रालयिक कार्मिक की संख्या न्यूनतम ही है, जिससे टीएसपी क्षेत्रों के लिये सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग से जारी रोस्टर दिनांक 11.08.2016 के अनुसार टीएसपी एवं नॉन टीएसपी कार्मिकों की वरिष्ठता का पृथक–पृथक किये जाने पर उक्त कार्मिको की वरिष्ठता के अनुपात में अंतर उत्पन्न हो। रोस्टर पाइन्ट के बिंदुओं अनुसार पदोन्नति में प्राथमिकता का आधार प्रभावित होने की संभावना रही है और नॉन टीएसपी विकल्पधारी कार्मिकों के नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण नहीं हो पाने की वजह से ऐसे कार्मिकों के भविष्य में होने वाले पदोन्नतियों के लाभ की व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिये संयुक्त वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन किया जाना ही अपेक्षित रहा है। किंतु समस्त

गतिविधियों से अपीलार्थी की वरिष्ठता में कोई अंतर नहीं आया है। वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठ सहायक पद पर 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। किंतु उक्त डीपीसी वर्ष के दौरान तक अपीलार्थी 4 वर्ष का अनुभवधारी कार्मिक रहा है और अपीलार्थी न्यूनतम वरिष्ठताधारी होने पर उसे मात्र टीएसपी विकल्पधारी होने के आधार पर उच्च वरिष्ठता प्रदान किया जाना प्रचलित नियमों के विरूद्ध होगा। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि वर्ष 2015–16 में पदोन्नति में टीएसपी रोस्टर का आरक्षण लागू नहीं किया गया था तथा वर्ष 2019–20 की पदोन्नति से पूर्व कार्मिक विभाग का परिपत्र दिनांक 28.08.2018 जारी होने से उक्त डीपीसी वर्ष में टीएसपी रोस्टर का आरक्षण लागू होने से प्रत्यर्थी विभाग का यह कर्तव्य था कि टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की अलग से वरिष्ठता सूची बनाते हुये पदोन्नति प्रक्रिया अपनाई जावे परंतु कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के विपरीत पदोन्नति प्रक्रिया अपनाई गई, जो नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि प्रतापगढ़ जिला का वर्ष 2008 में गठन हुआ और अनुसूचित क्षेत्र के सेवा नियम वर्ष 2014 में लागू किये गये और उसके पश्चात् ही कार्मिक विभाग ने प्रत्यर्थी विभाग को सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता बनाने के निर्देश दिये। परंतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 ने आज तक अनुसूचित क्षेत्र के विकल्प पत्र भी दिये और गैर अनुसूचित क्षेत्र के विकल्प देने के बावजूद डीपीसी वर्ष 2019–20 में श्रीमती ज्योति बाला जैन का डेफर क्लियर करते हुये अपीलार्थी के हितों को प्रभावित कर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 28.12.2020 के द्वारा पदोन्नति दी गई है, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार दिनांक 28.07.2011 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 28.04.2015 के अनुसार समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों से तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों से एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से दिनांक 31.05.2015

तक अनुसूचित क्षेत्र में जाने संबंध में अपीलार्थी ने अनुसूचित क्षेत्र में रहने के लिये विकल्प पत्र प्रस्तुत किया। राज्य सरकार द्वारा जिला प्रतापगढ वर्ष 2008 में बनाया गया और राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 बनाया गया, जो राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्र की भर्तीयां एवं पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया पृथक से अपनाये जाने का प्रावधान किया गया। जहां तक उपरोक्त नियम बनाये जाने के उपरांत अनुसूचित क्षेत्र की वरिष्ठता सूची पृथक से नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि तीन जिला क्षेत्रों अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों की उनके तत्कालीन जिला क्षेत्र की वरिष्ठता एवं वर्तमान जिला क्षेत्र गठन के उपरांत वरिष्ठता का संधारण करना उक्त कार्मिकों को पूर्ववत वरिष्ठता के ह्रास को बचाने के लिये किया जाना समुचित नहीं रहा। चूंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 बनाया गया और उक्त नियम लागू होने के आधार पर कार्मिकों की भर्ती, वरिष्ठता की प्रक्रिया गैर अनुसूचित क्षेत्र से पृथक कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठ सहायक के पद की वरिष्ठता जारी की गई है। जबकि उक्त नियम वर्ष 2014 में लागू किया जा चुका था। उक्त नियम लागू होने के लगभग 5–6 वर्ष बाद भी अनुसूचित क्षेत्र की वरिष्ठता पृथक से नहीं बनाया जाना उक्त नियमों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10815/2018 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 जिसमें सूचना विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की अलग से वरिष्ठता सूची जारी नहीं करने पर उक्त नियम, 2014 के विपरीत बताया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में विभाग द्वारा उक्त नियम 2014 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की पृथक से वरिष्ठता सूची जारी की गई। इसी प्रकार वर्तमान मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठ सहायक के पद की वरिष्ठता सूची उक्त नियम 2014 के अंतर्गत पृथक से बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत रहने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत रहने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार राज्य

सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत रहने हेतु मांगे गये विकल्प पत्र के अनुसार ही अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों की पृथक से नियम 2014 के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी किया जाना चाहिये। जबकि विभाग द्वारा जारी की गई पदोन्नति आदेश दिनांक 28.12.2000 जिसमें रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के कार्मिकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जो उक्त नियम, 2014 के विरूद्ध है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 को एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10815/2018 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 जिसके क्रम में सूचना विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों की पृथक से वरिष्ठता सूची जारी की गई, को ध्यान में रखते हुये अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत उनके विकल्प पत्र के आधार पर वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता सूची जारी की जावे और यदि अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर योग्य पाया जाता है तो उसे रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध उक्त पद पर नियमानुसार पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 08.09.2020 पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य